

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या.....2368/रा०

पटना दिनांक:- 26-09-13

अधिसूचना

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-करजाईन थाना सं०-34 परगना-धपहर, थाना- राधोपुर, अंचल-राधोपुर, जिला- सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् थाना भवन करजाईन की स्थापना के लिए पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम- करजाईन थाना- नं० 34 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 97 डि० 700 वर्गकड़ी (संतानवे डी० सात सौ वर्गकड़ी) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:-

पूर्ण खेसरा संख्या:- शून्य

अंश खेसरा संख्या:- 895, 896, 897 एवं 900

चौहद्दी:-

उत्तर:- खेसरा संख्या:- 897, 895 एवं 900

दक्षिण:- खेसरा संख्या:- 897, 896 एवं 900

पूरब:- खेसरा संख्या- 900

पश्चिम:- खेसरा संख्या- 896 एवं मौजा-मंशापुर

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे पुलिस अधीक्षक, सुपौल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहती,
सुपौल।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

उपरोक्त
में
मंशापुर

ज्ञापांक:- 2368/र.

दिनांक:- 26-09-13

प्रतिलिपि:-

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों- जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच-पाँच प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्ता, सुपौल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल, पुलिस अध्यक्ष, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/13
H
M. 2/12
4/12

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग
बिहार, पटना।
2